

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठारसीन अधिकारी : मुनेश कुमार

दावा संख्या 352/2022 (पुराना 157/2021)

जायगी दिनांक - 13.08.2021

अन्वय कुमार दुलड पुत्र मेघसिंह जाति जाट निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।

वादी

बनाम

1. जसवंत सिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपूत निवासी वाहिदपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. श्रीमती श्यानाकंवर पत्नी लादूसिंह जाति राजपूत निवासी वाहिदपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. मन्दीकंवर पुत्री लादूसिंह पत्नी मांगसिंह जाति राजपूत निवासी लूणा तहसील मलसीसर।
4. धीरेश कंवर पुत्री लादूसिंह जाति राजपूत निवासी वाहिदपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. मंजु पत्नी बाबुलाल जाति राजपूत निवासी वाहिदपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. निरूकंवर पुत्री बाबूलाल जाति राजपूत निवासी वाहिदपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. उप पंजीयक मण्डावा जिला झुंझुनूं।
8. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार मण्डावा

प्रतिवादीगण

वकील वादी - श्री रामवतार जाखड़ एडवाकेट

प्रतिवादी पक्ष:- श्री रफीक एडवोकेट

दावा वावत धोषणार्थ, विभाजन  
निर्णय


निर्णय दिनांक 26.06.2025

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि जमीन गत ख.न. 272 रकवा 2 बीघा 3 विश्वा सरहद राजस्व ग्राम वाहिदपुरा तहत तहसील झुंझुनूं में स्थित है। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित जमीन का खातेदार पहले लादूसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपुत निवासी वाहिदपुरा था। उक्त लादूसिंह का देहान्त हो चुका है जिसकी वंश वंशावली निम्न

उपखण्ड अधिकारी है -  
मण्डावा

लादूसिंह (फौत)

→ स्त्री श्यानाकंवर डी. 2.



उक्त लादूसिंह के दो पुत्र प्रतिवादी नं. 1 जसवंतसिंह व बाबूलाल पैदा हुए। उक्त लादूसिंह के पुत्र बाबुलाल का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी नं. 5 व 6 उक्त बाबूलाल की स्त्री व पुत्री होने से बरिस्त है। प्रतिवादीया नं. 3 व 4 उक्त लादूसिंह की पुत्रीयां है। उक्त वर्णित जमीन में से लादूसिंह पुत्र गणपतसिंह ने 1 बीघा 1 1/2 विश्वा पुख्ता दक्षिण दिशा की जमीन वादी अजयकुमार को 1200 रूपये प्रतिफल के बदले विक्रय कर उक्त लादूसिंह ने दिनांक 15.06.1976 को उप पंजीयक झुझुनू के यहां वादी अजयकुमार के हक में विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा दिया। उक्त वर्णित जमीन में से वादी के हक में हुये विक्रय पत्र के बाद 20 विश्वा जमीन मण्डावा झुझुनू फतेहपुर सड़क (रास्ता) में शामिल होने के कारण शेष 2 बीघा 1 विश्वा जमीन के ख.न. 272/2 कायम हुये। उक्त जमीन में से वादी को विक्रय की गई 1 बीघा 1 1/2 विश्वा जमीन के उत्तर में नारायणसिंह राजपुत का बाड़ा, दक्षिण में झुझुनू से फतेहपुर सड़क पूर्व में रास्ता आम, पश्चिम में फुलसिंह राजपुत का खेड़ा होना विक्रय पत्र में अंकित किया है। विक्रय पत्र दिनांकित 15.06.1976 के मुताबिक वादी के हक में नामान्तरकरण संख्या 503 सहायक भु प्रबन्धक अधिकारी द्वारा दिनांक 17. 06.1994 को स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण संख्या 503 विक्रय पत्र के मुताबिक 1 बीघा 1 1/2 विश्वा का नहीं भरा जाकर सहवन से वादी के हक में 1 बीघा 1 विश्वा का भरा गया। नामान्तरकरण संख्या 503 का अंकन जमाबन्दी सम्वत 2048-2051 में है। जमाबन्दी सम्वत 2048-2051 बनने के बाद भु प्रबन्धक कार्यवाही शुरू होने के कारण भु प्रबन्ध के दौरान वादी का नाम आगे की जमाबन्दीयों में नहीं आ सका। जमीन गत ख.न. 272 / 2 के दौरान भु प्रबन्धक हाल ख.न. 602 बने। यह कि राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित जमीन का शुरू से ही राजस्व रिकार्ड सही रूप से नहीं बनाया विक्रय पत्र के मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 503 स्वीकृत किया गया। उसमें भी 1/2 (आधा) विश्वा जमीन नामान्तरकरण संख्या 503 में वादी के हक में कम दर्ज की है नामान्तरकरण संख्या 503 का अंकन जमाबन्दी सम्वत 2048-2051 में हो चुका है। भु प्रबन्धक के दौरान जो राजस्व रिकार्ड बना उसमें गलत रूप से वादी का नाम अंकित नहीं किया एवं सम्पूर्ण जमीन गलत रूप से लादूसिंह के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया। लादूसिंह के नाम से गलत राजस्व रिकार्ड बना है उससे वादी पाबन्द नहीं है। वादी ने पहले जमीन हाल ख.न. 602 ग्राम वाहिदपुरा के राजस्व रिकार्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया माह सितम्बर के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के तहत फतेहपुर से झुझुनू राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के समय मुआवजे की

वादपत्र की मद संख्यास 7 में अंकित किया है कि दिनांक 15.06.1976 को तथाकथित विक्रय पत्र तय्यक होने के पश्चात उसके हक में नामान्तरकरण संख्या 503 सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दिनांक 17.06.1994 को स्वीकृत किया गया। विक्रय पत्र के मुताबिक 1 बीघा 1 1/2 बिस्या का नहीं था जाकर सहवन से वादी के हक में 1 बीघा 1 बिस्या का भरा गया। जमाबन्दी 2048-2051 में दर्ज होना बताया है लेकिन वर्तमान राजस्व मेवाड़ी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इस बाबत वादी के आज तक उक्त तरफ के सम्बन्ध में किसी भी अपीलिय न्यायालय में चाराजीही नहीं की है। द्वारा जो विक्रय पत्र तथाकथित दिनांक 15.06.1976 को तस्दीक होना बताया उससे आज तक वर्ष 2024 को 47 वर्ष हो चुके हैं दावा सन् 2021 में पेश किया उस समय तक 44 वर्ष बीत चुके थे। इस प्रकार वादी माननीय न्यायालय के सम्मुख करीब 44 वर्ष पश्चात दावा लेकर आया है। वर्तमान दावा के विवाद निर्धारित है भूमि खसरा नं. 602 रकबा 0.41 हैक्टर पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का विवेक रूप से कब्जा है। वादी का उक्त विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है। इसलिए भी वादी के कब्जे के अभाव में घोषणा व विभाजन का दावा पोषणीय नहीं है। वादी का वादपत्र राजस्थान शासकीय अधिनियम की तृतीय अनुसूची व धारा 23(6) के तहत अन्दर मियाद नहीं है। यह कि राजस्थान शासकीय अधिनियम, 1955 की धारा 42(2) के अनुसार अधिनियम लागू होने से पूर्व खसरा व अन्तरण रू- राजस्थान में सम्मिलित होने वाली रियासतों के टीनेन्सी कानूनों में भी खातेदार आस्तानियों द्वारा जमीन के विक्रय पर प्रतिबन्ध था धारा 42 (ख) के अनुसार विक्रय दान और वस्तीयत के विधिमान्य होने की घोषणा रू- जहां राजस्थान अभिमूर्ति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1992 का अधिनियम संख्यास 22 के प्रारंभ के पूर्व किसी खातेदार अभिधारी द्वारा अपनी जंत या उसके किसी भाग में से अपने हित का किया गया कोई भी विक्रय, दान या 1992 के उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व गथा विधमानपारा 42 (क) के उपबन्धों में से किसी के भी उल्लंघन के कारण शून्य थी वह ऐसा दानवस्तीयत कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कित्ती अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, उसे या ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से किये गये आवेदन पर और ऐसी फीस तथा शास्ति के संदाय पर जब विहित ही जाये विधिमान्य घोषित की जायेंगी। विधि के अनुत्तर खातेदार शासकार द्वारा भूमि का टुकड़ों में विक्रय नहीं किया जा सकता वर्तमान वादपत्र में वादी द्वारा जिस तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर दावा पेश किया है वह राजस्थान शासकीय अधिनियम, 1955 की धारा 42(ख) से बाधित होने के कारण खारिज होने योग्य है। यह कि वादी का वादपत्र वादकारण के अभाव में खारिज होने योग्य है। अतः जवाब दावा पेशकर निवेदन है कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वाद पत्र में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई:-

रुरु कायमी तनकीयात रुरु

1. आया वादीगण आया वादीगण को ग्राम वाहिदपुरा के ख.न. 602 रकबा 0.41 हैक्टर में से विक्रय पत्र के आधार पर 0.27 हैक्टर का खातेदार शासकार घोषित करवाने का अधिकारी है। भा.स.वादी

2. वादग्रस्त भूमि में वादी के बनने वाले हिस्से को विभाजित व सीमांकित किया जाकर अलग से विभाजित हिस्से का नया खसरा नं० लगान कायम करवाने का अधिकारी है। भा.स.वादी

3 आया वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अतः कब्जे का घोषणा पोषणीय नहीं है। भा.स.प्रतिवादी

4 आया तथाकथित विक्रय पत्र के समय वादी नाबालिग था अतः विक्रय पत्र से घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। भा.स.प्रतिवादी

5 वाद वादी चलने योग्य नहीं है भारी कोर्ट के खारीज फरमाया जायें। भा.स.प्रतिवादी वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में अपना स्वयं का शपथ पेश किया। प्रतिवादी पक्ष को बार बार के अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए है। प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र पर दस्तावेत

प्रदर्श -1 नामान्तरकरण संख्या 503 दिनांक 17.06.1994, प्रदर्श -2 नामान्तरकरण संख्या 498 दिनांक 07.04.1994, प्रदर्श-3 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श -4 जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 प्रदर्श -5 विक्रय पत्र असल दिनांक 15.06.1976 डाले गये।

प्रतिवादी पक्ष को साक्ष्य के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर इनकी साक्ष्य वादी बन्द की गई।  
तनकीवार विवेचन:-

1. आया वादीगण आया वादीगण को ग्राम वाहिदपुरा के ख.न. 602 रकबा 0.41 हैक्टर में से विक्रय पत्र के आधार पर 0.27 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। भा.स.वादी

उक्त तनकी का भार वादी पक्ष पर था। वादी के द्वारा प्रदर्श -1 नामान्तरकरण संख्या 503 दिनांक 17.06.1994, प्रदर्श -2 नामान्तरकरण संख्या 498 दिनांक 07.04.1994, प्रदर्श -5 विक्रय पत्र असल दिनांक 15.06.1976 पेश किया है। इससे साबित है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में से वादी पक्ष द्वारा भूमि कय की गई है। अतः तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. वादग्रस्त भूमि में वादी के बनने वाले हिस्से को विभाजित व सीमांकित किया जाकर अलग से विभाजित हिस्से का नया खसरा न० लगान कायम करवाने का अधिकारी है। भा.स.वादी वादी पक्ष की ओर से वाद पत्र में खाता विभाजन की सिद्धि को प्रतिहारित ( विडो) किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया गया। अतः उक्त तनकी के निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिवादी पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी के समय अनुपस्थित रहे है तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं होने के कारण से उक्त तनकी 03 लगायत 05 प्रतिवादी पक्ष के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

विधि में भूमि के विभाजन व घोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :-


राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में तनकी संख्या 01 लगायत 03 वादी के पक्ष में निर्णित की गई है। वादग्रस्त भूमि में वादी के द्वारा प्रतिवादी न० 01 लगायत 06 के पिता से जरिये विक्रय पत्र दिनांकित 15.06.1976 से कय किया जाना साबित है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय  
अतः याद यादी स्वीकार किया जाकर ग्राम बाहिदपुरा के जमीन गत ख.न. 272 रकबा 2  
विस्था जिसके हाल ख.न. 1096/602 रकबा 0.3420 हैक्टर में से विक्रय पत्र दिनांकित 15.  
के अनुसार में से यादी को 0.27 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।  
अनुसार अन्तिम डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(मुंशि कुमारी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)  
पिठासीन अधिकारी:- मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ


अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :- राजस्व वाद संख्या 352/22 अजय कुमार दुलड़ बनाम जसवंत वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 26.06.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम वाहिदपुरा के जमीन गत ख.न. 272 रकबा 2 बीघा 3 विश्वा जिसके हाल न. 1096/602 रकबा 0.3420 हैक्टर में से विक्रय पत्र दिनांकित 15.06.1976 के अनुसार में से वादी को 0.27 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.06.2025 को जारी की गई।

  
मुनेश कुमारी (R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा  
उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावा